

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

दिनांक:- 03/04/19

क्रमांक/वाद/2019/ 61

राजस्व आवेदन संख्या - 75/19

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

श्री मूलाराम पुत्र रामूराम वगैरा  
जाति जाट निवासी सवाऊ  
मूलराज तह. गिड़ा जिला  
बाड़मेर

श्री गुमनाराम पुत्र पोलाराम वगैरा 23  
निवासी सवाऊ मूलराज तह. गिड़ा  
जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

मौजा सवाऊ मूलराज पटवार हल्का सवाऊ मूलराज के खेत खसरा नम्बर 72 रकबा 77-15 बीघा, मौजा सियागों की ढाणी पटवार हल्का सवाऊ मूलराज के खेत खसरा नम्बर 302 रकबा 103-02 बीघा एवं मौजा धैतालर पटवार हल्का सवाऊ मूलराज के खेत खसरा नम्बर 14 रकबा 10-18 बीघा, की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअनिरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान कर गैर विवादित स्थिति होने पर पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेश करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/वाद/2019/ 61

62 - 66

प्रतिलिपि :- निम्न को प्रार्थनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

29/03/2019  
(अनिल कुमार पुनियाँ)  
उपखण्ड अधिकारी (विधि)  
दिनांक 03/04/19

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, सवाऊ मूलराज को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मूलाराम पुत्र रामूराम।
4. विप्रार्थीगण श्री गुमनाराम पुत्र पोलाराम वगैरा 23।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

29/03/2019  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
सहायक कमिश्नर (SDO)  
बायतु

FROM No.III

फर्द अहकाम



(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलक्टर (SUD) मुकाम.....

बायव

..... मूलाराम वगैरे बनाम गुमनाराम वगैरे .....

किस्म मुकदमा..... 111, 128 RLR App नं. 75 सन् 2019 .....

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25.2.19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ...<del>...</del>.....</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ...111, 128 RLR App.....</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पॉण्डेंट जरिये नोटिस/सम्पन</p> <p>तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ...26/3/19... को पेश हो।</p>	
26/03/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी गणों के</p> <p>नोटिस तामिल कृष्ण काल जिसे शामिल</p> <p>पत्रावली कीया गया। विप्रार्थी गणों का कडु</p> <p>तामिल कडु उपस्थित। न्यायालय पीठासीन</p> <p>अधीकारी चुनाव कार्यों हेतु जयपुर पत्र</p> <p>द्वारा ही कल; मित्राल ईलतवा डीटर विप्रार्थी</p> <p>दिनांक 02/04/19 को पेश हो।</p>	
02/04/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी गण</p> <p>कडु उपस्थित। न्यायालय समक्ष तीन बार</p> <p>काराज लगाई गई कडिलम काराज 5.45</p> <p>पर पत्र लगाई गई विप्रार्थी गण एवं आ</p> <p>उनकी कडु के डीई अधिवक्ता उपस्थित</p> <p>नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एडवोकेट</p> <p>कारावली समल के लार्ड जाती है। प्रार्थी के</p> <p>अधिवक्ता ही एडवोकेट लार्ड लुनी गई</p>	

प्राप्ति के अधिनस्थान के कतामा की प्राप्ति के अपने  
 प्रालेखी प्रेषण की पक्की नैयमवली उद्वाना  
 कार्यालय है इसलिए प्राप्ति का नैयमवली शिर्षक  
 स्विकार किया जाकर नैयमवली कार्यालय की प्रा  
 जाये। अतः प्राप्ति का नैयमवली शिर्षक स्विकार  
 किया जाकर तदनुसार रिपोर्ट के अधिनस्थान  
 नियुक्त किया जाता है व शिर्षक दिया जाता  
 है कि कार्य स्वयं या अपने अधिनस्थानी की भी  
 वृत्त अभिलेखी निरिस्तु के प्राप्ति के प्रालेखी प्रेषण  
 की पक्की नैयमवली मंडी पर कृपया जमा कराकर  
 इसे पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली  
 है। पत्रावली प्रेमल कुमार की दर्ज नाम पर ले  
 का है, दायित्व प्रकृत है।

03.4.2019  
 सहायक कलक्टर (SDO)  
 बायतु